



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक-2654/12-1, दिनांक: मसूरी, 15/7/2019।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में मरोरा-बनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 03 से कुण्ड तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-8.125 कि०मी०) के निर्माण हेतु 5.1415 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड-2, को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :-

अधिशाली अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड-2, नई टिहरी का पत्रांक 164/पी०-सि०ख०-2, दिनांक 06-02-2019।

महोदय,

अधिशाली अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड-2, नई टिहरी द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में मरोरा-बनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 03 से कुण्ड तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-8.125 कि०मी०) के निर्माण हेतु 5.1415 है० (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत-4.0285है०) वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु आनलाईन प्रत्यावर्तन प्रस्ताव एवं प्रस्ताव की स्कैन हार्ड प्रति इस कार्यालय में अग्रतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी है। प्रभाग स्तर से जॉच/परीक्षण उपरान्त आवश्यक संस्तुति सहित प्रस्ताव की (01) एक स्कैन हार्ड प्रति प्रेषित की जा रही है। विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण का कार्य अधीनस्थ स्टाफ, राजस्व विभाग व प्रस्तावक विभाग के कर्मचारियों /अधिकारियों द्वारा 27-06-2015 को किया गया है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में चयनित स्थल पर मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत विभिन्न प्रजाति एवं व्यासवर्ग के कुल 133 वृक्ष (आरक्षित वन-99 वृक्ष, सिविल सायेंस भूमि-04 वृक्ष एवं निजी/नाप भूमि-30 वृक्ष) प्रभावित/वाधित होने निहित हैं। जिनमें से आरक्षित वन में 22 वृक्ष तथा नाप भूमि में 08 वृक्ष बांज प्रजाति के सम्मिलित हैं। जिनका क्षेत्रवार/प्रजातिवार/व्यासवर्गवार विवरण निम्नवत् है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण का दिनांक 02-02-2019 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है।

क्र०	मोटर मार्ग सं०	प्रजाति का नाम	व्यासवर्ग								योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70 से अधिक	
1	रायपुर रेंज- आरक्षित वन कुण्ड क.सं.3 (कुल वाधित वृक्षों की सं० -43)	बाँज	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	रायपुर रेंज- आरक्षित वन कुण्ड क.सं. 4ए (कुल वाधित वृक्षों की सं०-56)	बाँज	-	2	6	10	4	-	-	22	

3	रायपुर रेंज- सिविल सो0 भूमि ग्राम कुण्ड (कुल वाधित वृक्षों की सं0-4)	बोंज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	रायपुर रेंज- नाप भूमि ग्राम कुण्ड (कुल वाधित वृक्षों की सं0-30)	बोंज	-	2	4	2	-	-	-	-	-	-	8
योग :-कुल 133 वृक्ष			0	4	10	12	4	0	0	0	0	30	

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अप्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उक्तानुसार। (प्रस्ताव की एक प्रति)

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

2654

पत्रांक / () तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-अधिशासी अभियन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड-2,नई, टिहरी को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।



Tele Phone No. :- 01376-232321
Fax No. :- 01376-232321
E-Mail ID :- eepmgsytehri2@rediffmail.com

कार्यालय
अधिकासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई, सिंख-2
नई टिहरी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांक:- 164 / पी-सिंख-2 /

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।



दिनांक 06/02/2019

विषय :-

जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मरोड़ा बनाली मोटर मार्ग के किमी 0 3.00 से कुण्ड मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव संख्या- - FP/UK/ROAD/21822/2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मरोड़ा बनाली मोटर मार्ग के किमी 0 3.00 से कुण्ड मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाईन कर दिया गया था, जिसका क्रमांक - FP/UK/ROAD/21822/2016 है।

उक्त वनभूमि प्रस्ताव की 02 प्रतियाँ (Hard Copy) अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

संलग्नक :- वनभूमि प्रस्ताव 02 नं०

अधिकासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई, सिंखाई खण्ड-2
नई टिहरी

सेवा में,
मुख्य वनाधिकारी,
प्रभागीय वन प्रभाग, मसूरी

भाग — II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या		परियोजना स्कीम का स्थान	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में मरोरा-बनाली-कदूखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 03 से कुण्ड तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-8.125 किमी०) के निर्माण हेतु (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत-4.0285 है०) कुल 5.1415 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र		उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला		टिहरी गढ़वाल
(iii)	वन प्रभाग		मसूरी वन प्रभाग।
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)		4.0285 हेक्टेयर वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति		3.5525 हेक्टेयर, आरक्षित वन भूमि कुण्ड कक्ष सं० -3, 4ए 0.3150 हेक्टेयर, सि०सो०वन पंचायत भूमि ग्राम कुण्ड 0.161 हेक्टेयर सि०सो० भूमि ग्राम कुण्ड। 4.0285 हेक्टेयर
(vi)	हरियाली का घनत्व		0.2
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)		प्रस्तावित निर्माण स्थल पर मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत आरक्षित वन भूमि में-99, सिविल सोयम भूमि में-04 तथा नाप भूमि में-30=कुल 133 वृक्ष विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के अवस्थित हैं, जिसमें मात्र 22 वृक्ष आरक्षित वन तथा 08 वृक्ष ग्राम कुण्ड नाप भूमि में 30 बांज प्रजाति के वृक्ष सम्मिलित हैं। प्रस्तावित स्थल पर अवस्थित कुल वृक्षों एवं वास्तविक रूप से प्रभावित /वाधित होने वाले वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के संलग्नक- प्रपत्र-19, 19.1, 19.2, 19.4., 20 पर चस्पा है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी		इस बावत वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक(सो०नि०) लो०नि०वि० देहरादून की दो पृष्ठीय भू-गर्भीय आख्या प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र -33 के संलग्नक-74 व 75 पर चस्पा है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी		प्रस्तावित /चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि कुण्ड कक्ष सं०-3 व, 4ए, तथा ग्राम कुण्ड सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि (मसूरी वन प्रभाग) की सीमा अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबोधित की जाए)		नहीं। इस बावत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र -25 पर तत्संबंधी प्रमाण पत्र चस्पा है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।		नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।		नहीं। इस बावत प्रस्तावक /लो०नि०वि० एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र -37 पर तत्संबंधी प्रमाण पत्र चस्पा है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।		इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र -14 पर चस्पा है।

9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु वांछित 5.1415 है0 के बदले दुगुने 10.283 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम कुण्ड सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं मानचित्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र 42 व 42 ए पर चस्पा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र 42 व 42 ए पर चस्पा है। साथ ही प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र 46 पर चस्पा है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 28,65,512.00(रू0 अट्ठाईस लाख पैंसठ हजार पाँच सौ बारह मात्र)
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परियय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 28,65,512.00 (रू0 अट्ठाईस लाख पैंसठ हजार पाँच सौ बारह मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्कलन एवं मानचित्र प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित हैं।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र-6 पर चस्पा है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि0 -2019 को किया गया है। (संलग्नक)
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	मसूरी वन प्रभाग/जिला- टिहरी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4421 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4058.90 वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 97 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 985.8533 है0 है, इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 521.6025 है0 है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 236.9612 हैक्टियर / 651.6392है0 (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1- 213.75 है0 / 531.38 में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों तथा अद्योहस्ताक्षरी के स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांक: 15 - 2 - 2019।
स्थान: - मसूरी,

नाम:- (कहकशां नसीम)
सरकारी मुहर वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, P.M.G.S.Y, Irrigation Division-2, New Tehri, for "Construction of K.M 03 of Marora-Banali Motor marg to Kund tak Motor road (8.125 K.M) " under FCA-1980 of 5.1415 ha. (4.0285 ha. in Mussoorie Forest Div.) of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of, "Construction of K.M 03 of Marora-Banali Motor marg to Kund tak Motor road (8.125 K.M) ". The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 02-02 -2019

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Reserve Forest + Prevate Forest + Civil Forest (RF 3.5525 ha + PF 0.00 ha.+CF 0.476 ha. = 4.0285 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna is found in the area. If so the details there of: No.

Whether any protected archeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, If so the details there of with NOC from competent authority, if required:- No.

- The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.(✓)
- It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation)] Act 1980 provided. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, para C of Handbook of forest (Conservation)] Act 1980 is attached.(x)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Proposal is recommended.

Place - Mussoorie

Date - 15.2.2019

(Signature)

Name (Kahkashn Naseem)

Designation.....प्रभागीय वनाधिकारी
मसुरी जल प्रभाग, मसुरी

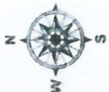
Office Seal

N.B x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

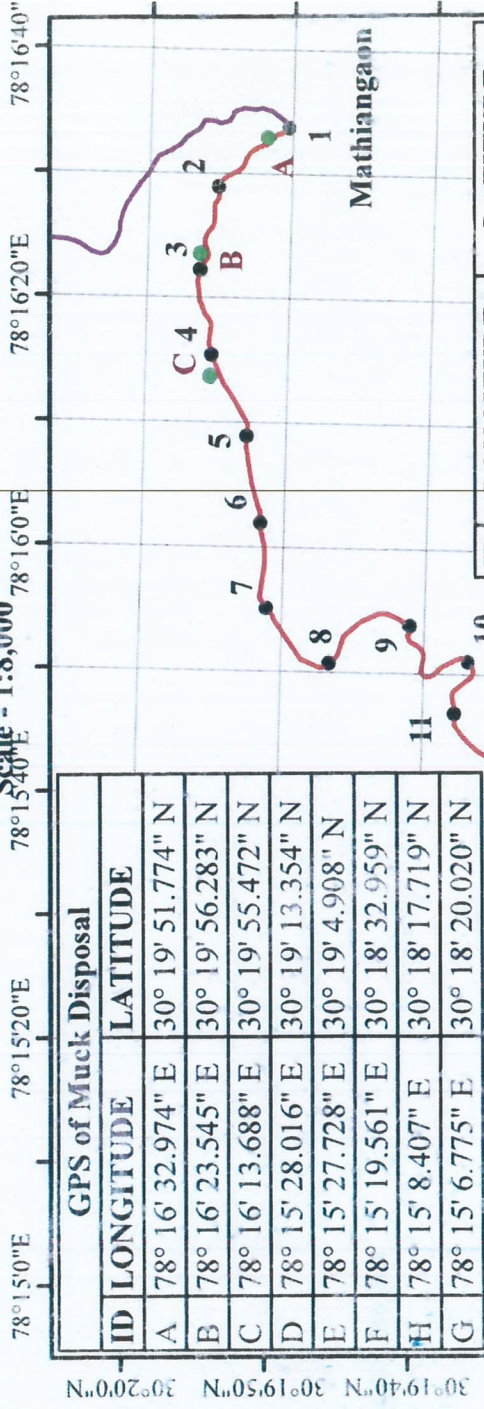
As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 ha. of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 ha. of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

जीयोरेफरेन्स मैप- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि०मी० ३ से कुण्ड (८.१२५ कि०मी०) के नव निर्माण हेतु



0 0.175 0.35 0.7 Km

Scale - 1:8,000



GPS of Muck Disposal	
ID	LATITUDE
A	30° 19' 51.774" N
B	30° 19' 56.283" N
C	30° 19' 55.472" N
D	30° 19' 13.354" N
E	30° 19' 4.908" N
F	30° 18' 32.959" N
G	30° 18' 17.719" N
H	30° 18' 20.020" N

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	78° 16' 33.767" E	30° 19' 50.285" N
2	78° 16' 28.966" E	30° 19' 55.147" N
3	78° 16' 22.255" E	30° 19' 56.264" N
4	78° 16' 15.417" E	30° 19' 55.370" N
5	78° 16' 8.927" E	30° 19' 52.774" N
6	78° 16' 1.972" E	30° 19' 51.682" N
7	78° 15' 55.087" E	30° 19' 51.088" N
8	78° 15' 50.780" E	30° 19' 46.570" N
9	78° 15' 53.859" E	30° 19' 41.039" N
10	78° 15' 51.070" E	30° 19' 36.914" N
11	78° 15' 46.854" E	30° 19' 37.798" N
12	78° 15' 43.272" E	30° 19' 32.795" N
13	78° 15' 37.456" E	30° 19' 29.399" N
14	78° 15' 31.313" E	30° 19' 26.034" N
15	78° 15' 25.621" E	30° 19' 23.386" N
16	78° 15' 29.186" E	30° 19' 16.293" N
17	78° 15' 27.408" E	30° 19' 12.841" N
18	78° 15' 20.707" E	30° 19' 11.287" N
19	78° 15' 13.733" E	30° 19' 11.792" N
20	78° 15' 17.652" E	30° 19' 7.518" N
21	78° 15' 24.552" E	30° 19' 6.288" N
22	78° 15' 26.097" E	30° 19' 1.272" N
23	78° 15' 19.685" E	30° 18' 58.467" N
24	78° 15' 15.624" E	30° 18' 56.797" N
25	78° 15' 17.871" E	30° 18' 47.912" N
26	78° 15' 18.891" E	30° 18' 41.697" N
27	78° 15' 20.104" E	30° 18' 32.305" N
28	78° 15' 17.576" E	30° 18' 35.658" N
29	78° 15' 17.876" E	30° 18' 30.263" N
30	78° 15' 12.818" E	30° 18' 25.555" N
31	78° 15' 5.432" E	30° 18' 21.808" N
32	78° 15' 0.564" E	30° 18' 17.724" N

प्रतिष्ठापक
अधिकारी,
नवी मिल्स
टिहरी नगरपालिका

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्र वन प्रपाप
न.वि.टी.टिहरी

Kund
अधिसारी समित्या
परमजीवसर्वार्थ, सिमरान
न.वि.टी.टिहरी

Legend

- Muck Disposal
- GPS Coordinates
- Proposed Road
- Existing Road

प्रभागीय वनाधिकारी
नसरी वन प्रभाग
नसरी
मसरी

अधिसारी समित्या
परमजीवसर्वार्थ, सिमरान
न.वि.टी.टिहरी
प्रभागीय वनाधिकारी
नसरी वन प्रभाग
नसरी
मसरी

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में मरोरा-बनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 03 से कुण्ड तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-8.125 किमी०) के निर्माण हेतु 5.1415 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई०,सिंचाई खण्ड-2, को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)
"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत आरक्षित वन भूमि-3.5525 है० तथा सिविल सोयम भूमि -0.476 है० कुल 4.0285 है०) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28-3-2008 के अनुसार निर्धारित ईको क्लास V के अन्तर्गत आता है।"

वर्तमान कार्ययोजना के अनुसार कुण्ड कक्ष सं० 3 व 4ए का औसत धनत्व 0.4 है। अपितु प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित स्थल (आरक्षित वन एवं सिविल सोयम भूमि में कुल 103 वृक्ष अवस्थित होने के फलस्वरूप प्रस्तावित / चयनित कार्यस्थल का घनत्व 0.2 आंका गया है, जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति है० दर रू० 6,57,000.00 (रू० छः लाख सत्तावन हजार मात्र) है। उक्त दर के अनुसार (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत) एन०पी०वी० धनराशि का आगणन रू० 26,46,725.00 (रू० छब्बीस लाख छियालीस हजार सात सौ पच्चीस मात्र) है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी